उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा०नि०—वे०आ०)अनुभाग—7 सांख्या—८५७ / xxvii (७)०२ / 2013 देहरादूनः दिनांकः २७ अक्टूबर 2014

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार कं पुनशिक्षित / अपुनशिक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को नहंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनु0—7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या— 93/XXVii(7)02/2013, दिनांक 25 मार्च, 2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या— 96/XXVii(7)02/2013, दिनांक 09 जुलाई, 2014 द्वारा दिनांक 01—01—2014 से मंहगाई राहत पुनरीक्षित पेंशनरों की 100 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित पेंशनरों की 200 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य सरकार के समस्त उपरोक्त उल्लिखित पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 मार्च, 2014 एवं 09 जुलाई, 2014 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01—07—2014 से क्रमशः 107 प्रतिशत एवं 212 प्रतिशत दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 2— मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।
- 3— यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजिनक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- 4— यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।
- 5— शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—ए—1—252 / दस / 10(3)—81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत मंहगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।
- 6— मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 No 257 /xxxvii(7)02/2013

Dehradun: Dated: 20 October, 2014

Office Memorandum

Subject:- Grant of Dearness Relief to state Government Revised/Pre revised Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-93/xxvii(7)02/2013, dated: 25 March, 2014 and memo No-136/xxvii(7)02/2013, dated: 09 July. 2014 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief for revised pension at the rate of 100% and for unrevised pension at the rate of 200% with effect from 01-01-2014 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all as above subject pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 107% and 212% respectively with effect from 01 July, 2014, in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 25 March, 2014 and 09 July, 2014 referred as above.

- 2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, of to next higher rupee.
- 3- These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking /corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective
- 4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.
- As per orders issued in Om No-A-1-252/x-10(3)-18, dated: April 27, 1989 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.
- 6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(रावेश शर्मा) अपर मुख्य सचिव।

(Rakesh Shārma)
Addl. Chief Secretary

संख्या— 251 / xxvii (7)02 / 2013, तद्दिनांक प्रतिलिप निम्नालेखित को सूचनार्थ एवं आवश्वक कायवाही हेत् प्रेषित।

- 1— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-- समस्त जिलाधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3— प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/ सार्वजिनक उद्यम विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/ उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।
- 4- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढवाल
 / क्माऊँ मण्डल।
- 5— महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6—निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऍ, उत्तराखण्ड देहराद्न।

- 7— निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- 8- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 9— उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर सचिव।

10— निदेशक, एन0आई०सी०, देहरादून।

No 27 /xxxvii(7)02/2013, the date Copy forwarded to following for information and

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 10- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 11- All Head of Department /Offices, Uttrakhand.
- 12- Principal Secretary/ Secretary, Urban Development /Pubic Industry Development Department, Uttrakhand Government with the request that the admisibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- 13- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division.
- 14- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 15- Director, Treasury and Finance services Uttrakhand.
- 16- All Treasury Officers, Uttrakhand.
- 17- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 18- Director, NIC Dehradun.

By Order,

(A.S. Chauhan)

Addl. Secretary